कृषि साख एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या :
(agricultural credit and the problem of rural indebtedness)

आधुनिक कृषि व्यवस्था में साख का महत्त्व (Role of credit in Modern Agriculture)- आधुनिक युग में वित्त का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। वित्त के बगैर बड़े पैमाने पर उद्योग-धन्धों का विकास असम्भव है। अन्य उद्योगों की तरह वित्त अथवा साख कृषि का भी एक आवश्यक अंग है। भारतीय गाँवों में प्रचलित एक कहावत के अनुसार, "वही गाँव बसने योग्य है जहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर कर्ज देने के लिए महाजन हों, दवा-दारू के लिए वैद्य हों, पूजा-पाठ के लिए पंडित हो तथा एक ऐसा जल का साधन हो जो कभी सूखता नही हो।" इससे भी भारत के आर्थिक जीवन में साख का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। ग्रामीण साख-सर्वेक्षण (Rural credit Survey) के विवरण से भी यह कहा गया है कि "साख कृषक की उसी प्रकार सहायता करता है जैसे फाँसी पर लटके हुए व्यक्ति जल्लाद को रस्सी।" (credit supports the farmer as the hangman's rope supports the hanged).

किन्तु भारत में कृषि-साख-व्यवस्था का प्राय: कोई संस्थागत रूप नहीं है। कारण यह है कि किसान बहुधा गाँवों में निवास करते हैं जहाँ संगठित साख की कोई व्यवस्था नहीं पायी जाती। भारत में कृषि-साख की इसी विशेषता की व्याख्या करते हुए प्रो॰ हैमिलटन ने ठीक ही कहा था कि "यहाँ गाँवों मे बहुत से बैंकर हैं किन्तु बैंक एक भी नहीं।" (People have many bankers but no bank) किन्तु भारतीय कृषि-व्यवस्था में साख के अत्यधिक महत्त्व का सर्वप्रथम कारण किसानों का निर्धनता के निर्मम जाल में उलझा होना है। कृषि से उन्हे इतनी आय नहीं होती कि वे अपना खर्च चला सके। साथ ही, हमारे गाँवों में आय के अन्य साधनों का भी अभाव है। फलस्वरूप कृषि तथा अन्य आवश्यक खर्च के लिए किसानों को बाध्य होकर महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है। ये महाजन (Money lenders) लेन-देन के सिलसिले में तरह-तरह के अत्याचार करते हैं। जिससे कर्ज का बोझ सदा बढ़ते ही जाता है। एक बार महाजनों के चंगुल में

Scanned by CamScanner

फँस जाने पर भारतीय किसानों के लिए उनसे छुटकारा पाना प्राय: असम्भव सा हो जाता है। इस प्रकार भारतीय कृषि के पिछड़े होने का एक प्रमुख कारण ऋण का अतिशय बोझ है। जैसा कि श्री डोलफ ने कहा, "देश महाजनों के चंगुल में है। ऋण के बंधन ही कृषि को जकड़े हुए है।" (The country is in the grip of Mahajans. It is the bonds of debt that shackle Indian agriculture). ऋण की मात्रा निरन्तर बढ़ती जाती है तथा किसान उससे जीवनपर्यन्त छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए कहा जाता है। "भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पलता है तथा ऋण को विरासत के रूप में छोड़कर मर जाता है।" (The Indian Peasant is born in debt, lives in debt, dies in debt and bequeaths debt)

भारतीय किसान की साख के लिए आवश्यकता (Need for Credit) - भारतीय किसानों को विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों से साख की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम तो उद्देश्य के अनुसार भारतीय किसान को 1. अल्पकालीन साख, 2. मध्यकालीन, तथा 3. दीर्घकालीन तीन प्रकार के साख की आवश्यकता पड़ती है:-

(1.) अल्पकालीन साख (15 महीने से कम की अवधि के लिए) - किसानों को कृषि-कार्य में बीज, मजदूरी तथा भोजन आदि की व्यवस्था के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता पड़ती है। इस अल्पकालीन साख को वह फसल तैयार होने पर चुका देता है। इस प्रकार की साख के लेने एवं भुगतान करने में 9 से 15 महीने तक का समय का अन्तर होता है, किन्तु बहुधा इस प्रकार का ऋण 12 महीने तक के लिए ही लिया जाता है। इस प्रकार के साख की मात्रा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है। इसे मौसमी साख भी कहा जाता है। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने यह अनुमान लगाया था कि किसानों की अल्पकालीन साख की वार्षिक आवश्यकता कम-से-कम 3-4 अरब रुपये तक है। किन्तु डॉ० बलजीत सिंह के अनुसार इसकी न्यूनतम सीमा 5 अरब रुपये है। सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1989-90 में सहकारी समितियों द्वारा अल्पकालीन साख के रूप में 1494 करोड़ रुपये देने का अनुमान था।

(2.) मध्यकालीन साख (15 महीने से लेकर 5 वर्ष की अवधि के लिए) - किसानों को महँगे कृषि के औजारों एवं हल-बैल आदि खरीदने के लिए अथवा उत्पादन-सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मध्यकालीन साख

Scanned by CamScanner

की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कर्ज की अवधि 15 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की होती है। मध्यकालीन साख की मात्रा में भी प्रादेशिक विभिन्नता पायी जाती है।

(3) दीर्घकालीन साख (5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए)- किसानों को कुएँ, तालाब, बाँध आदि बनवाने तथा भूमि में स्थायी सुधार, जैसे- जल-निकासी, भूमि की चौहद्दी घेराबन्दी एवं भूमि के पुनरुद्धार आदि के लिए दीर्घकालीन साख की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के कर्ज के भुगतान की अवधि 5 वर्षों से अधिक होती है। इस प्रकार के कर्ज की वार्षिक आवश्यकता 2000 करोड़ रुपये की है।

सहकारी समितियों द्वारा 1991-92 में 4350 करोड़ रुपये अल्पकालीन, 3602 करोड़ रुपये मध्यकालीन तथा 965 करोड़ रुपये दीर्घकालीन साख प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा 4515 करोड़ रुपये के अल्प तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया गया था। आठवीं योजना के अंत में 1996-97 में सहकारिता के माध्यम से अल्पकालीन ऋण के रूप में 7050 करोड़ रुपये, मध्यकालीन ऋण के रूप में 615 करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन ऋण के रूप में 1625 करोड़ रुपये प्रदान करने का आयोजन था।

Scanned by CamScanner